<u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रकरण.क.—182 / 2011</u> संस्थित दिनांक—31.03.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>अभियोजन</u>
// विरूद्ध //
अनिल पिता बिहारीलाल नागिने, उम्र 26 वर्ष,
निवासी—ग्राम दलदला, पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — <u>आरोपी</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-16/09/2014 को घोषित)

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304(ए) तथा मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—19.01.2011 को समय शाम 5 बजे स्थान उकवा रेंज आफिस एवं जुगलटोला के बीच आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50/बी.ए.3106 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, मृतक रितेश को ठोस मारकर की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक—19.01.2011 को समय शाम 5 बजे स्थान उकवा रेंज आफिस एवं जुगलटोला के बीच आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / बी.ए.3106 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आया और रितेश की मोटरसाइकिल को ठोस मार दिया, जिससे रितेश के शरीर पर चोट आयी। आहत रितेश को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट ले जाया गया। उक्त दुर्घटना की अस्पताल चौकी बालाघाट में आरोपी के विरुद्ध जीरो पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना रूपझर द्वारा असल नम्बर पर कायमी करते हुए आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—14 / 2011, धारा—279, 337 भा.द.वि. व धारा—184 मोटर यान अधिनिमय के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। ईलाज के दौरान आहत रितेश की मृत्यु हो जाने से मर्ग

की कार्यवाही कर पुलिस द्वारा पंचो के समक्ष नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया, मृतक के शव का शव परीक्षण करवाया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, दुर्घटना कारित वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर, वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया, आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—304ए एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 का इजाफा कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी अनिल को भा.द.वि. की धारा—279, 304(ए) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

4- प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—19.01.2011 को समय शाम 5 बजे स्थान उकवा रेंज आफिस एवं जुगलटोला के बीच आरक्षी केन्द्र रूपझर अंतर्गत वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / बी.ए.3106 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मृतक रितेश को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित किया, जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
- 3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना बैध अनुज्ञप्ति के चलाया?

विचारणीय बिन्द्ओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— मनीष सिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा। उसे फोन करके बुलाया गया था तथा घटना होते हुए सुरेश, पृथ्वीराज और किशोर ने देखा था। दुर्घटना में रितेश की मृत्यु हो गई थी। वह मृत्यु जांच प्रदर्श पी—1 की कार्यवाही के समय उपस्थित था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि यदि उसके पुलिस कथन में आरोपी शराब के नशे में होने और मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली बात उसके पुलिस के कथन में न लिखी हो तो उसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहा है और मात्र अनुश्रृत साक्षी के रूप में आरोपी के द्वारा घटना के समय तथाकथित मोटरसाइकिल को

तेज गति से चलाकर टक्कर मारने के कथन कर रहा है। साक्षी के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

- 6— सुरेश (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय सूचना प्राप्त होने पर वह घटना स्थल पर पहुंचा था जहां उसने रितेश को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा था, बाद में उसे एम्बुलेंस लेकर अस्पताल ले गये और बालाघाट से नागपुर ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के बाद मौके पर पहुंचा था, इस कारण नहीं बता सकता कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।
- 7— पृथ्वीराज (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मृतक रितेश उसका भाई था। वह घटना के समय सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा कि आहत रितेश खून से लतपथ घायल अवस्था में मोटरसाइकिल के साईड में रोड़ पर पड़ा हुआ था, बाद में रितेश की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि एक अन्य मोटरसाइकिल चालक ने मृतक रितेश की मोटरसाइकिल को तेज गित से टक्कर मार दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी की मोटरसाइकिल साईड मे थी और वह आरोपी को नहीं देख पाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सामने पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही नहीं की तथा वह दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन नहीं किया है और न ही कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल के चालक के रूप में आरोपी की पहचान की।
- 8— किशारे (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह घटना के समय मोटरसाइकिल से सोनपुरी जा रहा था तो रास्ते में दो व्यक्ति रोड़ पर खड़े हुए थे तथा दो मोटरसाइकिल भी रोड़ पर गिरी हुई थी। वह मृतक रितेश को जानता है तथा आरोपी अनिल को नहीं जानता। उसके सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल के चालक द्वारा तेज रफतार से वाहन को चलाकर मृतक रितेश की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल पर आरोपी को नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन नहीं किया है और न ही कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल के चालक के रूप में आरोपी की पहचान की।
- 9— रामचरण (अ.सा.३) ने अपनी साक्ष्य में पुलिस द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही एवं वाहन परीक्षण की कार्यवाही से इंकार किया है।

10— चिकित्सक आर.के.वर्मा (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में मृतक रितेश के शव परीक्षण में मृत्यु का कारण मस्तिष्क में आयी चोट होना बताया है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी चिकित्सीय साक्ष्य में घटना के समय मृतक रितेश की मृत्यु दुर्घटना के कारण होने की पुष्टि की है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी जगदीश गेडाम (अ.सा.७) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-24.01.2011 को पुलिस चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अपराध क्रमांक-14/2011, धारा–279, 337 भा.द.वि. एवं मोटर यान अधिनियम धारा–184 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को साक्षी मनीष, सूरेश के कथन लेख किये तथा दिनांक-09.02.201 को साक्षी पृथ्वीराज, संजय व किशोर के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये। उसने दिनांक-24.01.2011 को घटना स्थल से मोटरसाइकिल क्रमांक-एम.पी.50 / बी.ए.3106 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया तथा दिनांक-10.02.2011 को उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। उसने जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण भी कराया था। उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया। आरोपी के पास घटना समय वाहन चलाने का लायसेंस न होने से आरोपी के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत चालानी कार्यवाही की गई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में अस्वीकार किया है कि स्वयं मृतक रितेश स्वयं तेज गति से वाहन चला रहा था और आरोपी की गलती बताकर प्रकरण तैयार किया गया है। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य मे रूप में प्रमाणित किया है। यद्यपि मामले की प्रकृति के अनुसार मात्र अनुसंधाकर्ता की समर्थनकारी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस कारण उक्त साक्षी की साक्ष्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता।

12— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण व चक्षुदर्शी साक्षीगण ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल को चलाये जाने के संबंध में समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक रितेश की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चूंकि किसी भी साक्षी के द्वारा आरोपी को घटना के समय कथित दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल चलाये जाते हुए देखे जाने की साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है, जिस कारण आरोपी को मृतक रितेश की मृत्यु हेतु जिम्मेदार

उहराया जा सके। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा घटना के समय उक्त वाहन चलाये जाने की साक्ष्य के अभाव में उसके द्वारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत तथाकथित वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के वाहन चलाये जाने का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता।

13— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में कथित दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी.50 / बी.ए.3106 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, मृतक रितेश को ठोस मारकर मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 304(ए) एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3 / 181 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— 💉 आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस क्रमांक—एम.पी. 50 / बी.ए.3106 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार कृपाराम पिता जगतराम को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट